भारत संचार निगम लिमिटेड
(भारत संचार का उपक्रम)
कार्यालय-- मुख्य महाप्रबन्धक दूरसंचार म0प्र0 परिमण्डल भोपाल--462015

क्रमांक एस.टी./एसएस--पेंशन अदालत/2011/चेप्टर--V/73 भोपाल,दिनांक 22 जुलाई,2011.

प्रति,

तत्काल

1-- समस्त महाप्रबन्धक दूरसंचार जिला म.प्र.परिमण्डल.
2-- महाप्रबन्धक (सीएमटीएस)म.प्र.परिमण्डल.
2-- समस्त दूरसंचार जिला प्रबन्धक म.प्र. परिमण्डल.
3-- समस्त दूरसंचार जिला अभियन्ता म.प्र.परिमण्डल.
4-- समस्त मुख्य लेखा अधिकारी /लेखा अधिकारी म.प्र.परिमण्डल.
4-- मुख्य अभियन्ता दूरसंचार (सिविल/इलेक्ट्रीकल्स) म.प्र.परिमण्डल.
5-- सीनियर वास्तुविद् दूरसंचार म.प्र.परिमण्डल.

विषय :-- दिनांक 01--01--2007 के पूर्व सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन/ फेमिली पेंशन पुनः निर्धारण के कार्य को गति प्रदान करने बाबत ।

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत आल इंडिया बी.एस.एन.एल.-- डी.ओ.टी. पेंशनर्स एसोसियेशन म.प्र. सर्किल भोपाल के सर्किल सेक्रेटरी के पत्र क्रमांक 2011/पेंशन/2011--12 दिनांक 06--07--2011 का अवलोकन करें, जिसकी छाया--प्रति संलग्न हैं । जिसके व्दारा अवगत कराया गया है, कि दिनांक 01--01--2007 के पूर्व बी.एस.एन.एल. से सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की पेंशन/फेमिली पेंशन पुनः निर्धारण करने के विषय में फील्ड यूनिटों/संबंधित अधिकारियों के व्दारा त्वरित कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

इस संबंध में परिमण्डल कार्यालय से पहिले भी लिखा जा चुका हैं । अतः आपसे पुनः अनुरोध हैं कि पेंशन रिवीजन प्रकरणों पर समुचित कार्यवाही करते हुये, सीधे नियंत्रक, दूरसंचार लेखा म.प्र. सर्किल होशंगाबाद रोड भोपाल को प्रेषित करते हुये इस कार्यालय को सूचित करने की व्यवस्था करें ।

इसे अति आवश्यक समझा जावें ।

संलग्नः-- एक.

22.7.11

(एन.एम.टेंगशे)
सहायक महाप्रबन्धक (प्रशासन)
म.प्र.दूरसंचार परिमण्डल भोपाल
दूरभाष क्रमांक 0755-2550659
फैक्स क्रमांक 0755-2764044

प्रतिलिपि :-- महाप्रबन्धक (वित्त) म.प्र. परिमण्डल भोपाल को सूचनार्थ ।

आल इंडिया बी एस एन एल--डी ओ टी पेंशनर्स एसोसिएशन
(AIBDPA)

परिमंडल अध्यक्ष
एस.आर.नायक
मोबाइल:9425124499

पंजियन क्र०- एस/68836/2010

परिमंडल सचिव
एच.एस.ठाकुर
मोबाइल:9425393197

क्रमांक:2011/पेंशन/2011.12 — दिनांक 06.07.2011

प्रति,

श्री एन.के.यादव,
मुख्य महा प्रबन्धक दूर संचार (BSNL)
भोपाल.

विषय:–01-01-2007 के पूर्व सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेन्शन/फेमिली पेन्शन पुनः निर्धारण के कार्य को गति प्रदान करने बाबत्।

महोदय जी,

यह अत्यन्त ही चिन्ता का विषय है कि, 01.01.2007 के पूर्व बी एस एन एल से सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की पेन्शन/फेमिली पेन्शन पुनः निर्धारण करने के विषय में फील्ड यूनिटों/सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा त्वरित कार्यवाही नहीं की जा रही है। इससे पता चलता है कि, विभाग/कम्पनी के लिए अपना पूरा जीवन देने वाले वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्बन्धित अधिकारियों की सोच में, मानवीय दृष्टिकोण से भी, गिरावट आई है। यह बात अच्छी नहीं है।

मैं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि, कारपोरेट आफिस नई दिल्ली ने भी अपने पत्र क्रमांक 40-11/2011-पेन-(8)पीटी दिनांक 30.06.2011 के द्वारा विषयांतर्गत मुख्य महा प्रबन्धकों का ध्यान खींचा है।

इसलिए मैं, निवेदन करता हूं कि डी ओ टी के पत्र क्रमांक 40-47/2008-पेन(टी).वाल.III दिनांक 15.03.2001 जिसका अनुमोदन कारपोरेट आफिस नई दिल्ली ने अपने पत्र क्रमांक 40-46/2011-पेन(बी) दिनांक 04.04.2011 के द्वारा किया है, के समयवद्व अनुपालन के लिए आप व्यक्तिगत रूचि लेवें तथा सम्बन्धित अधिकारियों को समुचित रूप से आदेशित करें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप विषयांतर्गत आवश्यक कार्यवाही करेंगे तथा नजरें रखेंगे कि आपके आदेश का पालन हो रहा है।

कृप्या इस पत्र की पावती देने का कष्ट करें!

धन्यवाद के साथ

आपका आभारी

(एच.एस.ठाकुर)
परिमंडल सचिव
आल इंडिया बीएसएनएल–डीओटी
पेंशनर्स एसोसिएशन,मध्य प्रदेश, परिमंडल भोपाल

प्रतिलिपि: उचित कार्यवाही हेतु:–
श्रीमती रीता गोयल, महा प्रबन्धक (वित्त) भोपाल।